न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी रियांबडी जिला –नागौर
पीठासन अधिकारी श्री सुरेश कुमार (आर.ए.एस.)
अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या :– 79/2018

वादीनी :–

01. गीता पुत्री बींजाराम, जाति बावरी, निवासी जैसास रोहिट, तहसील रियांबडी, हाल गेमलियावारा, तहसील रियांबडी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. घेवरीदेवी पुत्री श्री बींजाराम, जाति बावरी, निवासी जैसास रोहिट, तहसील रियांबड़ी, हाल आच्छोजाई, तहसील डेगाना जिला नागौर
02. माधाराम पुत्र श्री बींजाराम
03. सुगनाराम पुत्र श्री बींजाराम
जातियान बावरी, निवासीगण जैसास रोहिट,
तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
04. भवंरी पुत्री श्री भागीरथ, जाति बावरी, निवासी जैसास रोहिट, हाल निवासी सैंसड़ा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
05. जानकी पुत्री श्री भागीरथ, जाति बावरी, निवासी जैसास रोहिट, हाल निवासी दासास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
06. हाथुड़ी पुत्री श्री मोतीराम, जाति बावरी, निवासी जैसास रोहिट, हाल निवासी दासास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
07. उगमाराम पुत्र श्री प्रभू जी, जाति बावरी, निवासी धनेरिया लील, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
09. पटवारी हल्का गवारड़ी

निर्णय

दिनांक :

वादी ने यह वाद बाबत् घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। वाद के संक्षिप्त तथय इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं, हिन्दू हैं, हिन्दू उत्तराधिकार की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते हैं। वचादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 स्व. बींजाराम वंशज हैं। स्व. बींजाराम के चार पुत्र भागीरथ, माधाराम, सुगनाराम व मोतीराम हुऐ एवं वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 पुत्रीयां हैं। स्व. बींजाराम की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नं. 154 रकबा 3.31 हैक्टेयर, खसरा नं. 128 रकबा 3.94 हैक्टेयर में से 0.81 हैक्टेयर व खसरा नं. 338 रकबा 5.32 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं व 1/2 हिस्सा उगमाराम पुत्र प्रभु बावरी, निवासी धनेरियालील का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त खेत खसरान में बींजाराम जी की खातेदारी के थे, उनकी मृत्यु के पश्चात् फौतगी म्यूटेशन में भागीरथ, माधा व सुगना के नाम भरे गये, क्योंकि मोतीराम के कोई पुत्र नहीं था, उसकी एक मात्र पुत्री थी एवं भागीरथ के भी कोई पुत्र नहीं है। केवल प्रतिवादी सं. 4 व 5 पुत्रियां की है, जिनका नाम म्यूटेशन में दायर किया गया हैं, जबकि उक्त जायदाद में जो हिस्सा खतौनी में दर्ज किया हैं, वह नहीं है, क्योंकि पैतृक जायदाद है, जिसमें वादीनी व प्रतिवादी सं. 1 का भी बराबर का हिस्सा हैं. स्व. बींजाराम के प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

परन्तु प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 ने बाले बाले अपने नाम म्यूटेशन दायर करवा लियें, जबकि वादीनी एवं प्रतिवादीग सं. 1 का बराबर का हिससा हैं, क्योंकि स्व. बींजाराम के 4 पुत्र व 2 पुत्रियां थी, जिससे स्व. बींजाराम की जायदाद में 1/6 हिस्सा वादीनी एवं 1/6 हिस्सा प्रतिवादीनी सं. 1 का बनता हैं, परन्तु प्रतिवादीगण बाले बाले अपने हक में खातेदारी दर्ज करवा ली, जो विधि विरूद्ध हैं, उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं हैं। जिससे वाद घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का हैं। स्व. बींजाराम की जायदाद में वादीनी का 1/6 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/6, प्रतिवादी सं. 2 का 1/6, प्रतिवादी सं. 3 का 1/6 व प्रतिवादी सं. 4 व 5 का 1/6 व प्रतिवादी सं. 6 का 1/6 हिस्सा है। स्व. बींजाराम की खातेदारी की भूमि में यह बेचान करने पर आदाम हुऐ, जो रोका जाने के लिए वादीनी ने वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अंत में वादीनी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जवाब हेतु तलब किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया, प्रतिवादी सं. 3 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया, प्रतिवादी सं. 4 से 6 वकील रामकिशोर तिवाड़ी ने वकालतनामा पेश किया। उन्होंने कोई जवाब दावा पेश नहीं किया एवं जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं वादीनी की साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। पत्रावली का अवलोकन यिा गया। राजीनामा एवं इकबालिया जवाब के माफिक वादीनी का वाद डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वाके मौजा जैसास रोहिट के खेत खसरा नं. 154 रकबा 3.31 हैक्टेयर, खसरा नं. 128 रकबा 3.94 हैक्टेयर में से 0.81 हैक्टेयर व खसरा नं. 338 रकबा 5.32 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा में वादीनी व प्रतिवादी सं. 1 का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर खातेदारी घोषित की जाती हैं एवं उक्त खसरान में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीनी व प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

यह निर्णय आज दिनांक 22/7/20 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)